

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या - 858/2024
अनवान : -

1. कृष्ण कुमार पुत्र महावीर प्रसाद जाति ब्राहमण निवासी नोहर तहसील नोहर।

- वादी

बनाम्

1. महावीर प्रसाद पुत्र नारायण जाति ब्राहमण निवासी नोहर तहसील नोहर।
 2. पवन पुत्र महावीर प्रसाद जाति ब्राहमण निवासी नोहर तहसील नोहर।
 3. सुरेन्द्र कुमार पुत्र महावीर प्रसाद जाति ब्राहमण निवासी नोहर तहसील नोहर।
 4. नरेन्द्र कुमार पुत्र महावीर प्रसाद जाति ब्राहमण निवासी नोहर तहसील नोहर।
 5. निशा
 6. देवकीनन्दन
 7. अजय कुमार
 8. किरण देवी
- पुत्र व पुत्रीयान सरोज पुत्री महावीर प्रसाद जाति ब्राहमण
निवासी नोहर तहसील नोहर।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88-89 ,राजस्थान काश्त0
अधि0 1955

उपस्थिति :- श्री नरेन्द्र किशोर जोशी गोदारा अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय

दिनांक: 06/03/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक देईदासपुरा तहसील नोहर के खाता संख्या 171/156 की 4.0340 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जो की पूर्व में वादी के दादा के नाम दर्ज थी उनकी फौतदगी के बाद प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हुई। प्रतिवादी संख्या 1 कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के अकेले के नाम दर्ज हो गई उक्त वाद भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्मजात हक हिस्सा है। प्रतिवादीगण संख्या 5 ता 8 जो की वादी व प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 4 के भान्जा/भान्जी है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है अपना जो भी हक हिस्सा है अपने वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 के पक्ष में परित्याग कर चुके है तथा प्रतिवादीया संख्या 1 भी काफी वृद्ध हो चुकी है ने अपना समस्त हक हिस्सा अपने पुत्रों के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। बाद हक त्याग रोही मौजा चक देईदासपुरा तहसील नोहर के खाता संख्या 171/156 की कुल 4.0340 हैक्ट भूमि में से वादी अकेला 1.388 हैक्ट भूमि, प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 प्रत्येक 0.882 हैक्ट भूमि पर काबिज है एवं प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन करवा पाने के अधिकारी है अतः वादी न्यायालय से घोषणा करवा के अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।



ॐ

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

वादी ने प्रतिवादी सं० 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद वादी एवं प्रतिवादी सं० 1 ता 8 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नहीं है। प्रतिवादी संख्या 9 परोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी सम्वत 2072-75 रोही मौजा चक देईदासपुरा खाता संख्या 171/156, जमाबंदी चक देईदासपुरा सम्वत 2029 ता 38, शपथ पत्र बाबत सदस्य आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में वादी के पिता के नाम दर्ज है उक्त वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 8 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्म से हक हिस्सा है। प्रतिवादीगण संख्या 1, 5 ता 8 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शून्य कर लिया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नहीं है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक देईदासपुरा तहसील नोहर के खाता संख्या 171/156 की 4.0340 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि संयुक्त हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि होना साबित है तथा उभयपक्ष ने उक्त वाद भूमि, हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक कृषि भूमि होना जाहिर किया है। वादी द्वारा प्रस्तुत

शपथ पत्र एवं सजरा खानदान के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीया संख्या 1, 5 ता 8 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक देईदासपुरा तहसील नोहर के खाता संख्या 171/156 की 4.0340 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को 1.388 हैक्ट भूमि का तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 प्रत्येक को 0.882 हैक्ट भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06/03/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

01
(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या - 858/2024

अनवान : -

1. कृष्ण कुमार पुत्र महावीर प्रसाद जाति ब्राहमण निवासी नोहर तहसील नोहर।

- वादी

बनाम्

1. महावीर प्रसाद पुत्र नारायण जाति ब्राहमण निवासी नोहर तहसील नोहर।
 2. पवन पुत्र महावीर प्रसाद जाति ब्राहमण निवासी नोहर तहसील नोहर।
 3. सुरेन्द्र कुमार पुत्र महावीर प्रसाद जाति ब्राहमण निवासी नोहर तहसील नोहर।
 4. नरेद्र कुमार पुत्र महावीर प्रसाद जाति ब्राहमण निवासी नोहर तहसील नोहर।
 5. निशा
 6. देवकीनन्दन
 7. अजय कुमार
 8. किरण देवी
- पुत्र व पुत्रीयान सरोज पुत्री महावीर प्रसाद जाति ब्राहमण
निवासी नोहर तहसील नोहर।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 858 सन 2024 निर्णय दिनांक - 06/03/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एवं वकील प्रतिवादीगण श्री सुबोध शर्मा व राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक देईदासपुरा तहसील नोहर के खाता संख्या 171/156 की 4.0340 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को 1.388 हैक्ट भूमि का तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 प्रत्येक को 0.882 हैक्ट भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 06/03/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर